

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS**  
**सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE कोचिन COCHIN- 682009**  
विल्लिंगटन आईलैंड Willingdon Island, कोच्चि Kochi – 682 009  
Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

**परिपत्र CIRCULAR. No. 46 / 2015**

**Sub: Customs Clearance Facilitation Committee – Approved Minutes of the 2nd meeting held on 18.06.2015— reg.**

**विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति - दिनांक 18.06.2015 को आयोजित दूसरी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त - संबंधित**

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की दूसरी बैठक दिनांक 18.06.2015 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की। एफएसएसएआई, कोचिन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डोल्स पी.ई. द्वारा अध्यक्ष महोदय को सुझाए गए कुछ सुधारों के आधार पर बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन किए गए हैं। बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे:

The 2nd meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3:30 PM on 18.06.2015 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting. The minutes revised as per certain modification suggested by the representative of FSSAI Shri. Doles .P.E, to the Chairman. The following officers of Customs were present:

1. Shri. S.Anil Kumar, Joint Commissioner
2. Smt. Srimathi S, Dy. Commissioner
3. Shri. Anoop Kumar, Asst. Commissioner
4. Smt. B. Uma Devi, Asst. Commissioner
5. Smt. Bindu, Supdt. of Customs

**सीमाशुल्क निकासी से संबंधित विभागों/एजेंसियों/पणधारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया:**

The departments / agencies / stake holders who are involved with customs clearance were represented by

1. Dr. C. Unnikrishnan Nair, Cochin Port Trust
2. Shri. Geemon .J, DP World, ICTT, Vallarpadom
3. Shri. Mukul Nayan, DP World, ICTT, Vallarpadom
4. Shri. J Raghupathy, Central Drugs Standards Control Organization.
5. Shri. K T Jayarajan, Textiles Committee, Kannur
6. Shri. Doles .P.E, Food Safety Standards India, Cochin

आयुक्त महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उपस्थित सदस्यों को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक संगठन से सदस्यों को नामांकित करने के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, क्योंकि इस बैठक के आयोजन और इससे हुई प्रगति की निगरानी सीधे सीबीईसी और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संबंधित बंदरगाहों में सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अध्यक्षता मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क द्वारा की जानी है, चूंकि इस समय कोचिन में कोई मुख्य आयुक्त नियमित तैनाती पर नहीं है इसलिए बंदरगाह के साथ-साथ हवाईअड्डे के प्रभारी सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 01.05.2015 को आयोजित गत सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की बैठक के दौरान उठाए गए विशिष्ट बिंदुओं पर हुई प्रगति के बारे में पूछा।

*The Commissioner welcomed the members to the meeting and briefed the gathering on nominees to be appointed to attend the meeting from each organization as conduct of this meeting and progress achieved are directly monitored by CBEC and PMO. The Chair stated that the Customs Clearance Facilitation Committee is to be chaired by the Chief Commissioner of Customs, Customs & Central Excise at the respective ports, since at present no Chief Commissioner is there on regular posting to Cochin, the Committee is being chaired by the Commissioner of Customs in charge of the Port as well as the airport. The Chair enquired on the progress made in last Customs Clearance Facilitation Committee meeting held on 1. 5.2015 on the specific points raised during the last meeting.*

**1. केरल में एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या।**

*Number of laboratories accredited to FSSAI in Kerala.*

एफएसएसएआई, कोचिन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि कोचिन में मौजूदा प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त दो और प्रयोगशालाएं जोड़ी जा रही हैं।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that two labs in addition to the existing labs are being added at Cochin.

**2. लेबल लगाने के मानदंडों के अनुसरण न करने के कारण नमूने लिया जाना**

*Drawing of samples due to non-compliance with labeling parameters.*

एफएसएसएआई, कोचिन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि नियमों की मौजूदा संरचना में यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं होगा, एफएसएसएआई नियमों के अनुसार, जो नमूने लेबल लगाने संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें नमूने के लिए नहीं लिया जा सकता है।

Shri. Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that in the present frame work of rules the proposal may not be feasible as per FSS regulations, those samples not meeting labeling parameters cannot be drawn for sampling.

**3. आयातित सेब के एफएसएसएआई द्वारा कोचिन में परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की कमी क्योंकि कुछ रसायनों से युक्त चीन के सेबों के परीक्षण के लिए केवल एक ही प्रयोगशाला जो हैदराबाद में स्थित है।**

*Lack of labs for testing imported apples by FSSAI at Cochin as there is only one lab which is at Hyderabad for testing china apples with certain chemicals.*

एफएसएसएआई, कोचिन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि साधारण नमूने सामान्यतः यहां आ रहे हैं। पकने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले एमसीपी से युक्त यह चीन के सेबों का एक विशेष माल है जिसका परीक्षण केवल हैदराबाद की प्रयोगशाला में होता है। उक्त फफूंदनाशक युक्त सेबों का

माल बहुत छोटी मात्रा में आ रहा है इसलिए इस परिस्थिति में ऐसी और अधिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that normal samples are generally coming here. This was a particular consignment of China Apples with MCP ripening delay agent which is tested only at Hyderabad lab. As very few consignment of apples are coming with the said fungicide there might not be any requirement to have more such labs at this juncture.

4. परीक्षण के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा नमूनों को लिए जाने की शक्तियों का प्रत्यायोजन।  
*Delegating powers to draw samples for testing by Customs officers.*

केंद्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रतिनिधि श्री जे. रघुपति ने कहा कि चिकित्सा उपकरण/कॉस्मेटिक्स जैसी मदों के लिए नमूने लेने की शक्तियां सीमाशुल्क को प्रदान की जा सकती हैं। कच्चे माल या थोक माल के नमूने उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाएंगे।

Shri. J.Raghupathy from Central Drugs Standards Control Organization (CDSCO) stated that items like Medical devises/cosmetics sample taking powers can be entrusted to Customs. Raw materials or Bulk material samples will be taken by their representative

5. वस्त्र समिति की सुविधा को कोच्चि में स्थानांतरित करने में हुई प्रगति।  
*Progress in shifting of Textile committee facility lab to Kochi.*

वस्त्र समिति के प्रतिनिधि श्री टी.के. जयराजन ने कहा कि वे कोच्चि में प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है और उन्होंने इस संबंध में कोच्चि में परिसर का निरीक्षण किया है। अभी परीक्षण के लिए तीन दिन का समय लगता है, नमूनों को कण्णूर की प्रयोगशाला में भेजने के लिए समय लगता है।

Shri T.K. Jayarajan, representative of Textile committee stated that they are in the process of setting up the lab at Kochi. The proposal has been forwarded to Ministry of Textiles and they have inspected premises at Kochi also in this regard. Now it takes three days time for testing the sample, time is consumed on transporting the samples to testing lab at Kannur.

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि डॉ. उष्णिक्ृष्णन ने कहा कि प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भवन की सुविधा पोर्ट द्वारा प्रदान की जा सकती है।

Dr.Unnikrishnan, representing Cochin Port Trust stated that building facility for setting up lab can be provided by port.

**निम्नलिखित नए बिंदु चर्चा के लिए उठाए गए।**

**Following fresh points were taken up for discussions**

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि डॉ. उष्णिक्ृष्णन ने कहा कि एफएसएसएआई ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से टाट के बोरे में पैक किए गए आयातित 800 कि.ग्रा. कॉफी के नमूने नहीं लिए।

Dr.Unnikrishnan, representing Cochin Port Trust stated that samples were not taken by FSSAI for 800 kgs. Coffee Beans imported through Cochin Port packed in gunny bags.

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि पैकेटों पर लेबल लगाने संबंधी मापदंडों के अनुसार लेबल की जानकारी दी जानी चाहिए थी।

Shri. Doles P E representing FSSAI, Cochin stated that the packages should have label detailing as per the labeling parameters.

120  
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सीमाशुल्क के संबंध में तीन मुद्दे हैं पहला है होली क्रॉस होस्पिटल, कोट्टयम का एफएसएसएआई द्वारा हेल्थ सप्लिमेंट उत्पादों का अनुमोदन किए जाने से संबंधित मुद्दा

*The chair stated that three issues are there in respect of Customs first on Holy Cross Hospital, Kottayam regarding health supplement product approval from FFAL.*

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि आयातकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि वे उक्त माल के लिए उत्पाद अनुमोदन प्राप्त करें।

Shri. Doles P E representing FSSAI, Cochin stated that importers have been directed to get product approval for the said consignment.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी आयातकर्ता द्वारा चाय के पुनःआयात के मामले में एफएसएसएआई के प्राधिकृत अधिकारियों ने इस कारण से नमूना नहीं लिया कि उत्पादन की तारीख आयात की तारीख से 6 महीने से अधिक समय पहले की थी।

*The Chair stated that in case of re import of tea by an importer the sample was not drawn by authorized officers of FSSAI on account of the date of manufacturer was more than 6 months prior to re import.*

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि खाद्य आयात के संबंध में एफएसएसएआई दिशानिर्देशों और डीजीएफटी मानकों के अनुसार 60% शेल्फ लाइफ शेष रहने से पहले उत्पादन की तारीख उत्तम होती है और चूंकि एक मामले में शेल्फ लाइफ 60% से कम थी इसलिए नमूने नहीं किए गए।

Shri. Doles P E representing FSSAI, Cochin stated that as per the FSSAI guidelines and DGFT norms related to food import the date of manufacturing is best before when 60% shelf life is remaining and since in one case shelf life was less than 60% samples were not drawn.

इस मौके पर इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि चाय बोर्ड ने थोक चाय उत्पादों के लिए उपयोग की उत्तम अवधि 9 महीने निर्धारित करनेवाले अपने परिपत्र को स्थगित कर रखा है। एफएसएसएआई और चाय बोर्ड के परिपत्र में स्पष्ट अंतर्विरोध होने के कारण यह मामला बोर्ड को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

It was pointed out at this juncture that Tea Board had kept in abeyance their circular specifying that Best before use for tea product in bulk is 9 months. As there was an apparent contradiction between the FSSAI guidelines and circular of Tea Board, it was decided to inform the matter to the Board.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी आयातक द्वारा राइस ब्रान ऑइल के पुनः आयात के माल से नमूने नहीं किए गए क्योंकि माल पर बैच नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। सीमाशुल्क ने यहां से निर्यात किए गए माल के रूप में इसकी विधिवत् पहचान की।

*The Chair stated that samples was not drawn from a consignment of Re import of Rice Bran Oil by an importer by FSSAI as the batch number was not mentioned on the consignment. Customs has duly identified the consignment as those exported from here.*

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि माल पर लेबल संबंधी मसलों के कारण नमूने नहीं लिए गए थे। पैकेजों पर उल्लिखित पता उत्पादक का नहीं था, बल्कि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली कंपनी का था। इसके अलावा नियमों के अनुसार वास्तविक उत्पादक के पास आयात के लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस होना चाहिए, जबकि इस मामले में वह नहीं था। इसलिए मामले को दिल्ली मुख्यालय भेजा गया है और वे जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that because of labeling issues on the consignment samples was not drawn. The address mentioned in the packages was not of the

manufacturer, but of the company marketing the product. Further as per the regulations the actual producer should have license with FSSAI for import whereas it is not the case here. Hence matter has been referred to head quarters in Delhi and they are awaiting response.

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने यह भी कहा कि कोचिन में कई सीएफएसों के पास डीस्टफिंग के बाद आयातित खाद्य सामग्री के परीक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin also stated that many of the CFS's in Cochin does not have the facility of cold storages for examination of imported food stuffs after destuffing.

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि डॉ. उष्णिक्कृष्णन ने कहा कि विल्लिंगटन आइलैंड में यानी इंटरनेशनल मोलैसिस कंपनी (आईएमसी) में और रिक्लमेशन एरिया में नई सुविधा आई.जी. इंटरनेशनल में कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है।

Dr.Unnikrishnan, representing Cochin Port Trust stated that Cold storage is available at Willingdon Island i.e. International Molasses Company (IMC) and a new facility I.G. International at the reclamation area.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि आयात कारगो की मात्रा कम है इसलिए सीएफएस पर प्रत्येक आयात कारगो के लिए अलग कोल्ड स्टोरेज सुविधा का होना मुश्किल होगा और यह भी कहा कि एफएसएसएआई कोचिन पोर्ट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

*The Chair stated that as the import cargo volume is less individual cold storage facility for import cargo at CFS may be difficult and said that FSSAI could use facilities available with Cochin Port.*

अध्यक्ष महोदय ने इसके अलावा यह भी कहा कि आयातित कारगो के परीक्षण लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा को, यदि आवश्यक हो, तो बंधक मालगोदाम बनाया जा सकता है।

*The Chair further stated that the cold storages facility for examination of import cargo if needed can be made bonded storages.*

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बंदरगाह से फरवरी 2015 से मई 2015 तक सुपारी आयात निकासी के 17 आगम पत्र दायर किए गए थे और केवल 5 आगम पत्र ही निकासी के लिए लंबित हैं।

*The Chair also stated that Betel nuts imports clearance from this port from Feb 2015 to May 2015 17 Bills of Entries were filed and only 5 Bills of Entries are pending for clearance.*

एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि संतरों के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग आईजीएम दायर करने से 2 महीने पहले ही की जा रही है, इनती अवधि के लिए माल पोर्ट परिसर में पड़ा रहता है।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that provisional NOC for oranges are being asked even 2 month after IGM the consignment is lying at the port premises for those period.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सामान्यतः संतरों के प्रेषित माल को विक्रेता का इंतजार रहता है, अंतिम बिक्री से पहले 5 से 6 बिक्रियां तक की जाती हैं।

*The Chair stated that generally the consignment of oranges waits for a seller, even up to 5 to 6 sales are done before the final sales happen.*

178  
एफएसएसएआई, कोचिन के प्रतिनिधि श्री डोल्स पी.ई. ने कहा कि कोचिन में परीक्षण के लिए चार से छह प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। अप्रैल 2015 से एफएसएसएआई द्वारा निकासी के लिए लगने वाली अवधि घट कर पांच दिन हो गई है।

Shri Doles P E, representing FSSAI, Cochin stated that 4-5 labs for testing are being opened in Kochi. The clearance time taken by FSSAI has been reduced to five days since April 2015.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समस्याएं मुख्यतः लेबल लगाने संबंधी मापदंडों के अनुसरण से संबंधित हैं। उन्होंने पूछा कि क्या एफएसएसएआई इसका अनुसरण न करने वाले माल पर कुछ दंड लगा कर उन्हें पैकेज संबंधी गलती को सुधारने की अनुमति दे सकती है।

*The Chair stated that problems are mainly in following labeling parameters. He queried whether FSSAI can impose some penalty on the non-compliant consignment and permit them to rectify the packaging deficiency.*

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next Customs Clearance Facilitation Committee meeting will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in).

Sd/-


(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No.S65/1/2015 — CCU Cus.

तारीख Dated : 17.08.2015

//अनुप्रमाणित ATTESTED//

  
(बिंदु BINDU)

अधीक्षक (सीसीयू) SUPERINTENDENT (CCU)